न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग जिला डीग(राज.)

मि0 न0 16/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/38)

पीठासीन अधिकारी:— डॉ.रवि कुमार गोयल
(R.A.S)

उनवान

रघुनाथ सिंह पुत्र श्रीचन्द जाति जाट नि0 ग्राम दांतलौठी तहसील जनूथर जिला डीग (राज0)

—सायल

बनाम

1. बदले पुत्र भुल्ली उुर्फ भूले
2. दीपचन्द पुत्र भुल्ली उर्फ भूले
3. मांगे पुत्र पाती
4. रामवती पत्नी पाती
5. केदार सिंह पुत्र पूरन सिंह
6. किशनसिंह पुत्र पूरन सिंह
7. राजवीर सिंह पुत्र पूरन सिंह
8. ओमवती पत्नी पूरन पुत्रवधू नारायन
9. राजेश पुत्र पूरन पौत्र नारायन
10. बृजेश पुत्र पूरन पौत्र नारायन
11. राजेन्द्र पुत्र पूरन पौत्र नारायन

(क्रमांक 1 से 11) — जातियान जाट नि0 दॉतलौठी तहसील जनूथर

12. जालो पुत्री पूरन पौत्री नारायन पत्नी नामालुम जाति जाट हाल नि0 ग्राम रौझोली पोस्ट जैंगारा तहसील किरावली जिला आगरा (उ.प्र.)
13. मोहनदेई पुत्री पूरन पौत्री नारायन पत्नी नामालुम जाति जाट हाल नि0 ग्राम वसेरी पोस्ट जैंगारा तहसील किरावली जिला आगरा((उ.प्र.)
14. प्रकाशी पत्नी कल्लू पुत्रवधू पूरन पौत्रवधू नारायन जाति जाट नि0 ग्राम दॉतलौठी तहसील जनूथर
15. गुल्लू आयु 16 साल पुत्र कल्लू नावालिग जरिये संरक्षक प्रकाशी पत्नी कल्लू जाति जाट नि0 दॉतलौठी तहसील जनूथर
16. राधा पुत्री कल्लू पौत्री पूरन प्रपोत्री नारायन पत्नी चन्द्रपाल जाति जाट हाल नि0 ग्राम दॉतलौठी तहसील जनूथर

—गैर सायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत
धारा 212 आर.टी.एक्ट,

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांकः 29.07.2024

सायल द्वारा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, इस आशय के साथ पेश किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 1759/759/0.74,1761/760/0.31, 688/0.32, 689/0.08, 690/0.07, 761/0.31, 916/0.07, 917/0.32, 918/0.17, 919/0.28, 920/0.27, 921/0.34, 922/0.17, 923/0.25, 926/0.36, 927/0.40, 954/0.40, 955/0.15, 956/0.36, 957/0.31, 958/0.35, 959/0.02, 974/0.38, 975/0.38, 976/0.09, 977/0.40, 981/0.46, कुल किता–27 कुल रकबा 7.76 हैक्टेयर नवीन खाता संख्या 341 एवं हाल आराजी खसरा नम्बर 1757/750/0.81 नवीन खाता संख्या 340 वाके ग्राम दॉतलौठी तहसील जनूथर में स्थित है। आराजी खसरा नम्बरान 688/0.32, 689/0.08, 690/0.07 वाके ग्राम दांतलौठी तहसील जनूथर में करीव 25–30 पेड लगे हुए है और समस्त आराजी मुत0 सायल व गैर सायलान एवं वादपत्र में वर्णित प्रति0 संख्या 17 लगायत 37 की मुताविक जमाबन्दी व विरासतन संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है और अपने अपने हिस्से अनुसार उक्त आराजी मुत0 पर सायल व गैर सायलान एवं वादपत्र में वर्णित प्रति0 संख्या 17 लगायत 37 का मौके पर कब्जा काश्त है व उपयोग व उपभोग में आ रही है। अब सायल एवं गैर सायलान एवं वादपत्र में वर्णित प्रति0 संख्या 17 लगायत 37 के मध्य आपस में संयुक्त काश्त में नहीं बन पा रही है और चाहे जब झगडा फिसाद हो जाता है। आपसी तरीके पर मीट्स एण्ड वाउण्डस से विभाजन करने की कहा तो गैर सायलान द्वारा आपसी तरीके पर विभाजन करने से साफ इन्कार कर दिया। गैर सायलान संख्या 01 व 02 आराजी मुत0 आराजी खसरा नम्बर 688/0.32 से सटैमा अपनी खातेदारी के आराजी खसरा नम्बर 687/0.29 में निर्माण कर खसरा नम्बर 688/0.32 जिस पर मनवट में वादी का कब्जा काश्त में होकर रास्ता कायम कर लेने पर उतारू है व उसे रहन व मुन्तकिल करने पर उतारू है। अतः निवेदन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 1759/759/0.74,1761/760/0.31, 688/0.32, 689/0.08, 690/0.07, 761/0.31, 916/0.07, 917/0.32, 918/0.17, 919/0.28, 920/0.27, 921/0.34, 922/0.17, 923/0.25, 926/0.36, 927/0.40, 954/0.40, 955/0.15, 956/0.36, 957/0.31, 958/0.35, 959/0.02, 974/0.38, 975/0.38, 976/0.09, 977/0.40, 981/0.46, कुल किता–27 कुल रकबा 7.76 हैक्टेयर नवीन खाता संख्या 341 एवं हाल आराजी खसरा नम्बर 1757/750/0.81 नवीन खाता संख्या 340 वाके ग्राम दॉतलौठी तहसील जनूथर में स्थित से सायल के हिस्से कब्जे की आराजी में किसी प्रकार से मजाहमत मदाखलत नहीं करने, सायल को जोतने बोने में व्यवधान पैदा नहीं करने,निर्माण नहीं करने व गैर सायलान संख्या 01 व 02 विवादित आराजी खसरा नम्बर 688/0.32 से सटैमा अपनी खातेदारी के आराजी खसरा नम्बर 687/0.29 में निर्माण कर खसरा नम्बर 688/0.32 जिस पर मनवट में वादी/सायल का कब्जा काश्त है में होकर रास्ता कायम ना करने व आराजी मुत0 को रहन वय मुन्तकिल नहीं किये जाने हेतु गैर सायलान को पावंद फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सायल के पक्ष में प्रतीत होने पर दिनांक 11.05.2023 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व गैर सायलान जारी की गई। गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायलान संख्या 01,02, तथा 05 लगायत 07 की ओर से मय अधिवक्ता उपस्थित ने अपना जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त आराजी सायल एवं गैर सायलान की संयुक्त खातेदारी की संयुक्त खातेदारी की आराजी नहीं है बल्कि उक्त आराजी में से आराजी खसरा नम्बरान 922/0.17, 923/0.23, 926/0.36, 927/0.40, 956/0.36, 976/0.09, 981/0.46, वाके ग्राम दांतलौठी तहसील जनूथर जिन्हें हाल बन्दोवस्त में गत आराजी खसरा नम्बर 790, 791, 793, 794, 802, 807 स्थित ग्राम दांतलौठी के बदले में बनाया गया है जोकि शुरू से ही यानि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व से गैर सायल संख्या 01 व 02 के दादा बीरवल पुत्र सुखराम की खुदकाश्त की आराजी थी जिस पर उक्त बीरवल बतौर खुद काश्त सम्बत 2012 से पूर्व से ही काबिज होकर काश्त कर रहा था और सम्बत 2016 में राजस्थान जमीदारी विस्वेदारी उन्मूलन एक्ट के प्रभाव में आने पर गैर सायल संख्या 01 व 02 के बाबा बीरवल ने खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये जिसकी मृत्यु के बाद गैर सायल संख्या 01 व 02 के पिता भूले उर्फ भुल्ली बतौर खातेदार काबिज होकर काश्त करता रहा जिसकी मृत्यु के बाद उक्त आराजी वसमूल अन्य आराजी पर गैर सायल संख्या 01 व 02 वाहिद रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा इस वक्त मौके पर भी गैर सायल संख्या 01 व 02 काबिज बतौर खातेदार है। उक्त आराजी पर गैर सायल संख्या 01 व 02 के दादा बीरवल का बतौर खुदकाश्त कब्जा होते हुए भी गलत तरीके से सम्बत 2016 में गत खसरा नम्बरान 802, 790, 791, 793, 794 के हिस्सा 2/3 का इन्द्राज सामलिया पुत्र माखन व मुन्शी पुत्र छुट्टन वैश्य के नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दिया तथा गत खसरा नम्बर 807 के हिस्सा 1/3 का इन्द्राज सामलिया पुत्र माखन व हिस्सा 1/3 का इन्द्राज परमाल पुत्र नारायन सिंह पिता प्रतिवादी संख्या 34 लगायत 37 व पाती पुत्र नारायन सिंह पिता व पति गैर सायल संख्या 03 व 04 व पूरन पुत्र नारायन सिंह व पति गैर सायल संख्या 05 लगायत 16 के नाम दर्ज कर दिया। जबकि उक्त आराजी से गैर सायलान का कोई सम्बन्ध नहीं था और ना ही कब्जा था जिसकी जानकारी होने पर गैर सायल संख्या 1 व 2 ने न्यायालय उप जिला कलक्टर डीग में उनवानी दावा बदले बनाम विजय सिंह वगै0 उद्घोषणा व स्थाई निषधाज्ञा मुकदमा नम्बर 56/2004, दर्ज हुआ जिसका निर्णय दिनांक 10.01.2018 से मृतक प्रति0 के वारिसान को समयावधि में रिकार्ड पर ना लेने के कारण अवेट कर दिया गया। जिसके विरूद्व गैर सायल संख्या 01 व 02 ने एक अपील संख्या 14/2018, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष उनवानी बदले बनाम विजय सिंह वगै0 पेश हुई,जोकि लम्बित है। गैर सायल संख्या 01 व 02 द्वारा विवादित आराजी में से आराजी खसरा नम्बरान 922/0.17, 923/0.23, 926/0.36, 927/0.40, 956/0.36, 976/0.09, 981/0.46 स्थित ग्राम दांतलौठी की बावत पृथक

Ram

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

से दावा उद्‌घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी बदले वगै0 बनाम विजय सिंह वगै0 पेश किया हुआ है जोकि लम्बित है और उक्त वाद के लम्बित रहते हुए सायल को दावी हाजा पेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और सायल द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 10 जा.दी. के तहत काबिले स्टे है तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायल विरूद्व गैर सायलान खारिज फरमाया जावे।

वकील सायल ने वहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 1759/759/0.74,1761/760/0.31, 688/0.32, 689/0.08, 690/0.07, 761/0.31, 916/0.07, 917/0.32, 918/0.17, 919/0.28, 920/0.27, 921/0.34, 922/0.17, 923/0.25, 926/0.36, 927/0.40, 954/0.40, 955/0.15, 956/0.36, 957/0.31, 958/0.35, 959/0.02, 974/0.38, 975/0.38, 976/0.09, 977/0.40, 981/0.46, कुल किता—27 कुल रकबा 7.76 हैक्टेयर नवीन खाता संख्या 341 एवं हाल आराजी खसरा नम्बर 1757/750/0.81 नवीन खाता संख्या 340 वाके ग्राम दॉतलौठी तहसील जनूथर में स्थित से सायल के हिस्से कब्जे की आराजी में किसी प्रकार से मजाहमत मदाखलत नहीं करने, सायल को जोतने बोने में व्यवधान पैदा नहीं करने,निर्माण नहीं करने व गैर सायलान संख्या 01 व 02 विवादित आराजी खसरा नम्बर 688/0.32 से सटैमा अपनी खातेदारी के आराजी खसरा नम्बर 687/0.29 में निर्माण कर खसरा नम्बर 688/0.32 जिस पर मनवट में वादी/सायल का कब्जा काश्त है में होकर रास्ता कायम ना करने व आराजी मुत0 को रहन वय मुन्तकिल नहीं किये जाने हेतु गैर सायलान को पावंद फरमाया जावे।

गैर सायलान के विद्वान वकील द्वारा बहस प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र के जबाव में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि गैर सायल संख्या 01 व 02 द्वारा विवादित आराजी में से आराजी खसरा नम्बरान 922/0.17, 923/0.23, 926/0.36, 927/0.40, 956/0.36, 976/0.09, 981/0.46 स्थित ग्राम दांतलौठी की बावत पृथक से दावा उद्‌घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी बदले वगै0 बनाम विजय सिंह वगै0 पेश किया हुआ है जोकि लम्बित है और उक्त वाद के लम्बित रहते हुए सायल को दावी हाजा पेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और सायल द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 10 जा.दी. के तहत काबिले स्टे है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायल विरूद्व गैर सायलान खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात/राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया।

<u>प्रथम दृष्ट्या प्रकरणः—</u> विवादित आराजी खसरा नम्बरान 1759/759/0.74,1761/760/0.31, 688/0.32, 689/0.08, 690/0.07, 761/0.31, 916/0.07, 917/0.32, 918/0.17, 919/0.28,

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

920/0.27, 921/0.34, 922/0.17, 923/0.25, 926/0.36, 927/0.40, 954/0.40, 955/0.15, 956/0.36, 957/0.31, 958/0.35, 959/0.02, 974/0.38, 975/0.38, 976/0.09, 977/0.40, 981/0.46, कुल किता–27 कुल रकबा 7.76 हैक्टेयर नवीन खाता संख्या 341 एवं हाल आराजी खसरा नम्बर 1757/750/0.81 नवीन खाता संख्या 340 वाके ग्राम दॉतलौठी तहसील जनूथर में स्थित है। आराजी खसरा नम्बरान 688/0.32, 689/0.08, 690/0.07 वाके ग्राम दांतलौठी तहसील जनूथर में करीव 25–30 पेड लगे हुए है और समस्त आराजी मुत0 सायल व गैर सायलान एवं वादपत्र में वर्णित प्रति0 संख्या 17 लगायत 37 की मुताविक जमाबन्दी व विरासतन संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है और अपने अपने हिस्से अनुसार उक्त आराजी मुत0 पर सायल व गैर सायलान एवं वादपत्र में वर्णित प्रति0 संख्या 17 लगायत 37 का मौके पर कब्जा काश्त है व उपयोग व उपभोग में आ रही है। अब सायल एवं गैर सायलान एवं वादपत्र में वर्णित प्रति0 संख्या 17 लगायत 37 के मध्य आपस में संयुक्त काश्त में नहीं बन पा रही है और चाहे जब झगडा फिसाद हो जाता है। आपसी तरीके पर मीट्स एण्ड वाउण्डस से विभाजन करने की कहा तो गैर सायलान द्वारा आपसी तरीके पर विभाजन करने से साफ इन्कार कर दिया। गैर सायलान संख्या 01 व 02 आराजी मुत0 आराजी खसरा नम्बर 688/0.32 से सटैमा अपनी खातेदारी के आराजी खसरा नम्बर 687/0.29 में निर्माण कर खसरा नम्बर 688/0.32 जिस पर मनवट में वादी का कब्जा काश्त में होकर रास्ता कायम कर लेने पर उतारू है व उसे रहन व मुन्तकिल करने पर उतारू है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सायलान के पक्ष में प्रकट होना प्रतीत है।

<u>सुविधा का संतुलनः–</u> विवादित वर्णित आराजी खसरा नम्बरान में गैर सायलान संख्या 01 व 02 आराजी मुत0 आराजी खसरा नम्बर 688/0.32 से सटैमा अपनी खातेदारी के आराजी खसरा नम्बर 687/0.29 में निर्माण कर खसरा नम्बर 688/0.32 जिस पर मनवट में वादी का कब्जा काश्त में होकर रास्ता कायम कर लेने पर उतारू है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन गैर सायलान के पक्ष में न होकर सायलान के पक्ष में बखूवी प्रकट होना प्रतीत है।

<u>अपूर्तिनीय क्षतिः–</u> विवादित आराजी खसरा नम्बरान में गैर सायलान अगर सायल/वादी के कब्जे काश्त में होकर रास्ता कायम कर लेने तथा आराजी को रहन वय मुन्तकिल करते है तो प्राइमा फेसी केस व बैलेंस ऑफ कन्वीनियन्स एवं अपूर्तिनीय क्षति सायलान के पक्ष में बखूवी प्रतीत होती है।
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, के तथ्य व परिस्थिति की दृष्टि से वकील सायलान के द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन व उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। समस्त विवेचना अनुसार हम सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट, को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः–

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188,आर.टी.एक्ट के अन्तिम निस्तारण होने तक विवादित आराजी खसरा नम्बरान

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

1759/759/0.74,1761/760/0.31, 688/0.32, 689/0.08, 690/0.07, 761/0.31, 916/0.07, 917/0.32, 918/0.17, 919/0.28, 920/0.27, 921/0.34, 922/0.17, 923/0.25, 926/0.36, 927/0.40, 954/0.40, 955/0.15, 956/0.36, 957/0.31, 958/0.35, 959/0.02, 974/0.38, 975/0.38, 976/0.09, 977/0.40, 981/0.46, कुल किता–27 कुल रकबा 7.76 हैक्टेयर नवीन खाता संख्या 341 एवं हाल आराजी खसरा नम्बर 1757/750/0.81 नवीन खाता संख्या 340 वाके ग्राम दॉतलौठी तहसील जनूथर में स्थित आराजीयात पर रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने तथा रहन वय मुन्तकिल नहीं किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र में वर्णित गैर सायलान संख्या 01 लगायत 16 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को लिखाया जाकर मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner